...यालय उपखण्ड अधिकारी दीगोद बड़जलास

शत्रुध्न सिह गुर्जर आर.ए.एस

मिसल न0	दायरा तिथि	निर्णय दिनाक
75 / 2023	22 / 06 / 2023	....13/7/24....

अजोबाई उर्फ अजबुन पुत्री शब्बीर जाति मुसलमान निवासी अमरपुरा तह0 दीगोद जिला कोटा

– वादी

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार दीगोद,जिला कोटा।

– प्रतिवादी

वाद अ0धा0 88,89, आरटीएक्ट

आदेश

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि ग्राम अमरपुरा तहसील दीगोद जिला कोटा में वादनी के शामलाती खाते मे खाता संख्या 9 नया 10 पुराना की खसरा नम्बर 463 रकबा 0.49 है0,खसरा नम्बर 615 रकबा 0.81है0,खसरा नम्बर 617 रकबा 1.23 है0,खसरा नम्बर 621 रकबा 1.22 है0,खसरा नम्बर 643 रकबा 0.63है0,खसरा नम्बर 644 रकबा 0.30 है0, कुल किता 6 की 4.83 है0 भूमि स्थित चली आ रही है जिनमें वादनी का नाम अजबुन दर्ज है जमाबंदी सम्वत् 2075–2078 संलग्न है।

उक्त आराजी मे वादनी का नाम अजबुन दर्ज कर दिया गया है जबकि वादनी का समस्त दस्तावेजो में वादनी का नाम अजोबाई है। जिससे वादनी का

अध्यक्ष राष्ट्रीय लोक अदालत   सदस्य राष्ट्रीय लोक अदालत   सदस्य राष्ट्रीय लोक अदालत

[illegible]री योजनाओ में किसान केडिड कार्ड लेने में परेशानी आ रही है जिसे दुरस्त किया जाना आवश्यक् है।

यह कि राशन कार्ड, आधार कार्ड, पहचान कार्ड,पेन कार्ड व बैक डायरी आदि में अजोबाई होने से सरकारी योजनाओ का लाभ व सुधार के लिए किसान केडिट लेने से वंचित हो रही है। वादनी को दस्तावेजो के आधार पर अपना नाम दुरस्त कराने का कानूनन अधिकार है इसलिए वादनी का नाम दुरस्त किया जाना आवश्यक् है। वादनी ने प्रतिवादी से दिनांक 12.06.2023 को नाम दुरस्त करवाने के कहने ओर उनके द्वारा मना करने पर वादकारण उत्पन्न हुआ। जिस कारण यह वाद प्रस्तुत करना आवश्यक् हो गया है।

अतःवाद पेश कर निवेदन है कि वादनी का के पक्ष में प्रतिवादी के खिलाफ निम्न आशय की आज्ञा व डिकी परितं की जावे। ग्राम अमरपुरा तहसील दीगोद जिला कोटा में वादनी के शामलाती खातों में संख्या 9 नया 10 पुराना खसरा नम्बर 463 रकबा 0.49 है0,खसरा नम्बर 615 रकबा 0.81 है0,खसरा नम्बर 617 रकबा 1.23 है0,खसरा नम्बर 621 रकबा 1.22 है0,खसरा नम्बर 643 रकबा 0.63 है0,खसरा नम्बर 644 रकबा 0.30 है0, कुल किता 6 की 4.68 है0 भूमि के राजस्व रेकार्ड में दुरस्ती किये जाने की आज्ञा व डिकी पारित की जावे।

वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी जर्ये समन्न की गई। प्रतिवादी की ओर से जवाब पेश कर निवेदन किया कि वादनी का नाम ग्राम अमरपुरा के नामा0 न0 738 से दर्ज किया गया है। नामा0 ग्राम पंचायत के वारिसप्रमाण व वादनी के सहखातेदार सादिक के शपथ पत्र में दर्ज किया गया है। सादिक के शपथ पत्र में अजुबन ही उल्लेखित है। तत्समय जर्ये नामा0 दर्ज नाम को बिना सक्षम आदेश/निर्णय के तहसीलदार द्वारा परिर्वर्तित नही किया जा सकता है।

पत्रावली में जवाब सरकार प्राप्त होने पर वाद की सुनवाई दिनांक 13.07.2024 को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत के दौरान की गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो,वादपत्र,जवाब सरकार,पटवारी हल्का की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया।

अध्यक्ष सदस्य सदस्य
राष्ट्रीय लोक अदालत

द्वारा वाद में अंकित दस्तावेज में आधार कार्ड, पहचान पत्र, पेनकार्ड, बैक डायरी, आद्वि में वादनी का नाम अजोबाई है।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात एवं जवाब सरकार के आधार पर पत्रावली में वादनी का नाम राजस्व रेकार्ड में दुरस्त किया जाता उचित प्रतीत होता है।

उक्त विवेचन के आधार पर वादी का वाद स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः वाद वादनी स्वीकार किया जाकर माल ग्राम अमरपुरा तहसील दीगोद जिला कोटा में वादनी के शामलाती खातो में संख्या 9 नया 10 पुराना खसरा नम्बर 463 रकबा 0.49 है0,खसरा नम्बर 615 रकबा 0.81 है0,खसरा नम्बर 617 रकबा 1.23 है0,खसरा नम्बर 621 रकबा 1.22 है0,खसरा नम्बर 643 रकबा 0.63 है0,खसरा नम्बर 644 रकबा 0.30 है0, कुल किता 6 की 4.68 है0 भूमि वादनी का नाम अजुबन के स्थान पर अजोबाई दर्ज किये जाने व राजस्व रेकार्ड में दुरस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। विवादित आराजीयात् में यदि रहनभार अंकित है तो यथावत रहेगा।

उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड मे अमल दरामद किया जाकर डिक्री मुर्तिब की जावे। विवादित आराजी में यदि रहनभार दर्ज है तो यथावत रहेंगा।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक ....13/7/24.... को खुले न्यायालय सुनाया गया।

अध्यक्ष
राष्ट्रीय लोक अदालत
दीगोद जिला कोटा

सदस्य
राष्ट्रीय लोक अदालत
दीगोद जिला कोटा

उपखण्ड अधिकारी
दीगोद
राष्ट्रीय लोक अदालत
दीगोद जिला कोटा